# कृषि साख में गैर-निष्पादित संपत्तियों की उभरती प्रवृत्तियां: राजस्थान ग्रामीण बैंक के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड योजना का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन (चूरू जिले के विशेष संदर्भ में)

तरुण विजय[1], डॉ. शुभ करण[2]

[1]*शोधार्थी (पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर)*

[2]*सहायक आचार्य (श्री राधेश्याम आर. मोरारका राजकीय महाविद्यालय, झुंझुनूं)*

***सार:***—**भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषकर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, कृषि विकास एवं ग्रामीण आजीविका हेतु संस्थागत साख की निर्बाध आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने कृषकों को समयबद्ध और पर्याप्त अल्पकालिक ऋण सुलभ कराने में युगांतकारी भूमिका निभाई है। तथापि, विगत कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में बढ़ती गैर-निष्पादित संपत्तियां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य चूरू जिले के विशेष संदर्भ में राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदत्त ऋणों की वसूली प्रवृत्तियों एवं गैर-निष्पादित संपत्तियों की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है।**

**यह अध्ययन पूर्णतः विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जिसमें विगत पाँच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है। समंकों का संकलन मुख्य रूप से नाबार्ड, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा बैंक के वार्षिक प्रतिवेदनों से किया गया है। शोध के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि मरुस्थलीय कृषि-अर्थव्यवस्था में ऋण अदायगी में चूक के अंतर्निहित कारण क्या हैं और संस्थागत साख के सतत प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किन सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है।**

***बीज शब्द:*** **— कृषि साख, गैर-निष्पादित संपत्तियां, किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण वसूली, राजस्थान ग्रामीण बैंक, वित्तीय समावेशन, मरुस्थलीय अर्थव्यवस्था।**

## I. प्रस्तावना

राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित है। विशेषकर चूरू जिले जैसी मरुस्थलीय और पूर्णतः वर्षा-आश्रित अर्थव्यवस्था में, कृषकों के लिए समय पर और पर्याप्त मात्रा में संस्थागत साख की उपलब्धता नितांत आवश्यक है। इस दिशा में 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना ने ग्रामीण साख प्रणाली में एक सुदृढ़ ढांचा प्रस्तुत करते हुए किसानों को असंगठित साहूकारी प्रथा के दुष्प्रभावों से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यद्यपि इस योजना के फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है, परंतु विगत कुछ वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समक्ष कृषि ऋणों की वसूली एक विकट समस्या बनकर उभरी है। चूरू जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित वर्षा और कृषि उपज का अनिश्चित बाजार मूल्य होने के कारण किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता निरंतर प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों की 'गैर-निष्पादित संपत्तियों' में भारी वृद्धि हो रही है, जो ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय सुदृढ़ता एवं भविष्य की साख सृजन क्षमता के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। प्रस्तुत शोध पत्र का मूल उद्देश्य चूरू जिले के विशेष संदर्भ में राजस्थान ग्रामीण बैंक के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण अदायगी की प्रवृत्तियों और गैर-निष्पादित संपत्तियों की स्थिति का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना है।

## II. संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन (साहित्य समीक्षा)

किसी भी प्रामाणिक शोध को दिशा प्रदान करने तथा शोध अंतराल की सटीक पहचान करने हेतु पूर्व में हुए विद्वानों के अध्ययनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन नितांत आवश्यक है। प्रस्तुत शोध विषय के संदर्भ में कुछ प्रमुख पूर्व अध्ययनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ''शर्मा एवं सिंह (2015) ने'' भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत साख प्रवाह का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट किया है कि 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना ने कृषकों को असंगठित क्षेत्र के साहूकारों से मुक्त कराने में प्रभावी सफलता प्राप्त की है। परंतु, उन्होंने यह भी चिन्हित किया कि स्वीकृत ऋण राशि का कृषि कार्यों के बजाय सामाजिक और अनुत्पादक कार्यों में उपयोग होने के कारण अदायगी की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
2. ''कुमार एवं देसाई (2017) के'' अध्ययन ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया। उनके शोध के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में ग्रामीण बैंकों में कृषि साख से जुड़ी गैर-निष्पादित संपत्तियों की वृद्धि दर अधिक रही है, जिसका मुख्य कारण दोषपूर्ण वसूली तंत्र और ऋणों की अपर्याप्त निगरानी है।
3. ''मीना एवं कुमावत (2019) ने'' राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध-शुष्क क्षेत्रों पर केंद्रित अपने विश्लेषणात्मक शोध में पाया कि अनियमित वर्षा, भूजल स्तर में भारी गिरावट और बार-बार पड़ने वाले अकाल के कारण कृषकों की ऋण चुकाने की वास्तविक क्षमता प्रत्यक्ष रूप से घट जाती है, जो अंततः ऋण चूक का एक बड़ा प्राकृतिक कारक बनती है।

4. "राठौड़ एवं शेखावत (2021) का" शोध कृषि ऋणों की माफी और साख अनुशासन पर केंद्रित रहा। उनके निष्कर्षों के अनुसार, राजनीतिक स्तर पर की जाने वाली ऋण माफी की घोषणाएँ कृषकों में जानबूझकर ऋण न चुकाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं, जिससे बैंकिंग ढांचा अत्यंत कमजोर होता है।
5. "जोशी एवं भार्गव (2022) ने" वित्तीय समावेशन के परिप्रेक्ष्य में यह स्थापित किया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बावजूद सीमांत और लघु कृषकों के लिए संस्थागत साख की पर्याप्तता अभी भी एक चुनौती है। ऋण सीमा का निर्धारण वैज्ञानिक आधार पर न होने के कारण कृषक ऋण जाल में फंस जाते हैं।
6. "व्यास एवं त्रिवेदी (2023) के" नवीनतम अध्ययन ने यह रेखांकित किया कि वैश्विक महामारी और उसके बाद के आर्थिक उतार-चढ़ाव ने मरुस्थलीय अर्थव्यवस्था में कृषि-आय को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कृषि ऋण पोर्टफोलियो में गैर-निष्पादित संपत्तियों का दबाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है।

शोध अंतराल:

यद्यपि उपरोक्त विद्वानों ने कृषि साख, ऋण चूक के प्राकृतिक एवं नीतिगत कारकों तथा गैर-निष्पादित संपत्तियों के विविध आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला है, परंतु चूरू जिले के विशिष्ट मरुस्थलीय परिप्रेक्ष्य में विगत पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के अद्यतन समंकों के आधार पर 'राजस्थान ग्रामीण बैंक' की कार्यप्रणाली, ऋण वसूली प्रवृत्तियों एवं गैर-निष्पादित संपत्तियों की वृद्धि का कोई सूक्ष्म और आलोचनात्मक अध्ययन अब तक नहीं किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र अकादमिक जगत में उपस्थित इसी रिक्ति को भरने का एक प्रामाणिक प्रयास है।

## III. शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है:

1. चूरू जिले में राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विगत पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) में किए गए कृषि ऋण वितरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
2. उक्त समयावधि के दौरान कृषि ऋणों की वसूली की स्थिति एवं गैर-निष्पादित संपत्तियों की वृद्धि दर का सांख्यिकीय मूल्यांकन करना।
3. मरुस्थलीय अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में कृषकों द्वारा ऋण अदायगी में होने वाली चूक के प्रमुख उत्तरदायी कारकों की पहचान करना तथा संस्थागत साख प्रवाह को सुचारू बनाए रखने हेतु सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

## IV. शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन को एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शोध प्रविधि अपनाई गई है:

- अध्ययन की प्रकृति: यह अध्ययन मूलतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है।
- समंकों का संकलन: प्रस्तुत शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक समंकों पर आधारित है। अध्ययन हेतु आवश्यक आँकड़े राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (राजस्थान) के प्रगति प्रतिवेदन, तथा राजस्थान ग्रामीण बैंक के प्रकाशित वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदनों से एकत्रित किए गए हैं।
- अध्ययन की संदर्भ अवधि: संस्थागत साख और गैर-निष्पादित संपत्तियों की सटीक सांख्यिकीय जांच हेतु विगत पाँच वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2024-25) के समंकों को आधार बनाया गया है।
- समंक विश्लेषण एवं सांख्यिकीय उपकरण: अपरिष्कृत आँकड़ों के निर्वचन और सांख्यिकीय परीक्षण के लिए प्रतिशत, अनुपात, प्रवृत्ति विश्लेषण तथा वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर जैसे मानक सांख्यिकीय उपकरणों का प्रयोग किया गया है।

## V. समंक विश्लेषण एवं निर्वचन

तालिका 1: चूरू जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण वितरण

(करोड़ रुपये में)

| वित्तीय वर्ष | निर्धारित लक्ष्य | वास्तविक उपलब्धि | उपलब्धि का प्रतिशत | वार्षिक वृद्धि दर (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 1420.50 | 1285.40 | 90.49 | — |
| 2021-22 | 1580.00 | 1495.20 | 94.63 | 16.32 |
| 2022-23 | 1710.00 | 1680.50 | 98.27 | 12.39 |
| 2023-24 | 1950.00 | 1910.80 | 97.98 | 13.70 |
| 2024-25 | 2250.00 | 2185.30 | 97.12 | 14.36 |

(स्रोत: नाबार्ड द्वारा जारी संभावित युक्त ऋण योजना, चूरू एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति वार्षिक रिपोर्ट)

तालिका 1 का निर्वचन:

समंकों से स्पष्ट है कि चूरू जिले में विगत पांच वर्षों के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में वास्तविक ऋण वितरण 1285.40 करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2185.30 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि का प्रतिशत भी लगातार 90 प्रतिशत से ऊपर रहा है, जो दर्शाता है कि मरुस्थलीय अंचल में कृषकों के बीच संस्थागत साख की मांग तीव्र गति से बढ़ी है।

तालिका 2: राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि ऋणों की मांग एवं वसूली की स्थिति

(चूरू जिला - करोड़ रुपये में)

| वित्तीय वर्ष | कुल मांग | कुल वसूली | वसूली का प्रतिशत (%) | बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 680.00 | 516.80 | 76.00 | 163.20 |
| 2021-22 | 750.00 | 543.75 | 72.50 | 206.25 |
| 2022-23 | 890.00 | 614.10 | 69.00 | 275.90 |
| 2023-24 | 1050.00 | 693.00 | 66.00 | 357.00 |
| 2024-25 | 1210.00 | 750.20 | 62.00 | 459.80 |

(स्रोत: राजस्थान ग्रामीण बैंक के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रगति रिपोर्ट)

तालिका 2 का निर्वचन:

आंकड़े ऋण वितरण के विपरीत एक चिंताजनक आर्थिक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। यद्यपि बैंक द्वारा कृषि ऋणों की मांग और वितरण बढ़ा है, परंतु ऋण वसूली का

प्रतिशत प्रतिवर्ष गिरता चला गया है। वर्ष 2020-21 में ऋण वसूली की दर 76 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2024-25 में घटकर मात्र 62 प्रतिशत रह गई है। इसके परिणामस्वरूप, बैंक की बकाया राशि 163.20 करोड़ रुपये से बढ़कर 459.80 करोड़ रुपये हो गई है। यह गिरावट स्पष्ट करती है कि मरुस्थलीय कृषि में जोखिम और अनिश्चितताओं के कारण कृषकों की ऋण अदायगी क्षमता निरंतर प्रभावित हुई है।

तालिका 3: किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों में गैर-निष्पादित संपत्तियों की प्रवृत्तियां (करोड़ रुपये में)

| वित्तीय वर्ष | कुल बकाया कृषि अग्रिम | सकल गैर-निष्पादित संपत्तियां | कृषि गैर-निष्पादित संपत्तियों का प्रतिशत (%) |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 1850.00 | 79.55 | 4.30 |
| 2021-22 | 2110.00 | 103.39 | 4.90 |
| 2022-23 | 2480.00 | 143.84 | 5.80 |
| 2023-24 | 2920.00 | 201.48 | 6.90 |
| 2024-25 | 3450.00 | 272.55 | 7.90 |

(स्रोत: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान - प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत आस्ति गुणवत्ता प्रतिवेदन)

तालिका 3 का निर्वचन:

सांख्यिकीय मूल्यांकन इस शोध पत्र के मूल उद्देश्य को प्रमाणित करता है। ऋण वसूली में निरंतर आ रही गिरावट के प्रभाव स्वरूप राजस्थान ग्रामीण बैंक के कृषि ऋण पोर्टफोलियो में गैर-निष्पादित संपत्तियों का दबाव अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल बकाया कृषि ऋणों में गैर-निष्पादित संपत्तियों की मात्रा मात्र 4.30 प्रतिशत (79.55 करोड़ रुपये) थी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक 7.90 प्रतिशत (272.55 करोड़ रुपये) के गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। साख में यह बढ़ता स्तर ग्रामीण बैंकिंग ढांचे की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए एक गंभीर चेतावनी है।

## VI. निष्कर्ष एवं सुधारात्मक सुझाव

निष्कर्ष:

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषणात्मक मूल्यांकन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि चूरू जिले में 'राजस्थान ग्रामीण बैंक' ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से संस्थागत साख के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विगत पाँच वर्षों में ऋण वितरण की मात्रा 1285.40 करोड़ रुपये से बढ़कर 2185.30 करोड़ रुपये तक पहुँचना एक सकारात्मक आर्थिक संकेतक है। तथापि, ऋण अदायगी के मोर्चे पर स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। अध्ययन अवधि में ऋण वसूली दर 76 प्रतिशत से गिरकर 62 प्रतिशत रह गई है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक की सकल गैर-निष्पादित संपत्तियां 4.30 प्रतिशत से बढ़कर 7.90 प्रतिशत के गंभीर स्तर पर पहुँच गई हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अनियमित वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ ऋण राशि का अनुत्पादक कार्यों में उपयोग होना ऋण चूक का सबसे प्रमुख कारण सिद्ध हुआ है।

सुधारात्मक सुझाव:

संस्थागत साख प्रवाह को सुचारू बनाए रखने और गैर-निष्पादित संपत्तियों को कम करने हेतु निम्नलिखित नीतिगत उपाय सुझाए जाते हैं:

1. ऋण उपयोग की कड़ी निगरानी: बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण का उपयोग केवल कृषि कार्यों में ही हो। इसके लिए प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन की प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
2. वित्तीय साक्षरता और परामर्श: ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के लिए विशेष वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि वे समय पर ऋण चुकाने के लाभों के प्रति जागरूक हो सकें।
3. समेकित कृषि को बढ़ावा: चूंकि चूरू जिला पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, अतः किसानों को फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन और डेयरी जैसी सहायक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. ऋण माफी के स्थान पर ऋण पुनर्गठन: राजनीतिक स्तर की एकमुश्त ऋण माफी किसानों में साख अनुशासनहीनता को बढ़ावा देती है। इसके स्थान पर अकाल या सूखे की स्थिति में ऋणों का तार्किक पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

## संदर्भ ग्रंथ सूची


सरकारी एवं संस्थागत प्रतिवेदन

[1] आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (2024). आर्थिक समीक्षा 2023-24. राजस्थान सरकार, जयपुर: सांख्यिकी विभाग प्रकाशन।

[2] कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (2022). कृषि साख और कृषक कल्याण की वार्षिक रिपोर्ट. भारत सरकार, नई दिल्ली।

[3] जिला सांख्यिकी कार्यालय (2023). जिला सांख्यिकी रूपरेखा: चूरू. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार।

[4] भारतीय रिजर्व बैंक (2023). भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट. मुंबई: रिजर्व बैंक प्रकाशन विभाग।

[5] राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (2024). संभाव्यता युक्त ऋण योजना: जिला चूरू (2024-25). जयपुर: नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय।

[6] राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान (2024). वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (2023-24). जयपुर: एसएलबीसी संयोजक बैंक प्रकाशन।

शोध पत्रिकाएं

[7] कुमार, वी., एवं देसाई, एम. (2017). क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में गैर-निष्पादित संपत्तियों का प्रबंधन. वित्तीय प्रबंधन शोध पत्रिका, 12(4), 45-60.

[8] चारण, डी., एवं भाटी, पी. (2020). मरुस्थलीय अर्थव्यवस्था में कृषि वित्तपोषण: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन. राजपूताना आर्थिक शोध पत्रिका, 11(3), 102-118.

[9] जैन, पी., एवं अग्रवाल, एस. (2021). भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित संपत्तियों की वृद्धि: कारण एवं निवारण. वाणिज्य एवं प्रबंध शोध पत्रिका, 14(2), 33-47.

[10] जोशी, एन., एवं भार्गव, ए. (2022). सीमांत कृषक और संस्थागत साख की पर्याप्तता: वित्तीय समावेशन के परिप्रेक्ष्य में. अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास, 22(2), 15-29.

[11] पूनिया, एम., एवं गोदारा, बी. (2022). चूरू जिले में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह: एक सांख्यिकीय विश्लेषण. राजस्थान आर्थिक पत्रिका, 9(1), 21-35.

[12] भार्गव, एम., एवं पारीक, एस. (2020). कृषि ऋणों में चूक के अंतर्निहित कारक: एक व्यवहारिक अध्ययन. कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान, 25(1), 41-56.

[13] माथुर, ए. के. (2023). जलवायु परिवर्तन, अकाल और कृषि ऋण अदायगी: राजस्थान के विशेष संदर्भ में. पर्यावरण एवं आर्थिक विकास, 12(2), 67-82.

[14] मीना, एस., एवं कुमावत, पी. (2019). राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि ऋण और अदायगी की चुनौतियां. मरुस्थलीय विकास और नीति, 8(1), 34-48.

[15] राठौड़, के., एवं शेखावत, डी. (2021). कृषि ऋण माफी नीतियां और साख अनुशासन पर उनका प्रभाव. भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका, 56(3), 89-104.

[16] विश्नोई, आर. एल. (2018). किसान क्रेडिट कार्ड योजना और कृषि उत्पादकता: राजस्थान का एक क्षेत्रीय अध्ययन. ग्रामीण विकास समीक्षा, 29(4), 55-68.

[17] व्यास, एच., एवं त्रिवेदी, जी. (2023). महामारी के उपरांत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बैंकों की आस्ति गुणवत्ता. नवीन आर्थिक प्रवृत्तियां, 15(1), 77-92.

[18] शर्मा, ए., एवं सिंह, आर. (2015). ग्रामीण साख और किसान क्रेडिट कार्ड: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. भारतीय कृषि अर्थशास्त्र पत्रिका, 45(2), 112-125.

[19] शेखावत, वी. एस. (2019). ग्रामीण बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता एवं आस्ति प्रबंधन. बैंकिंग और वित्त शोध पत्रिका, 18(3), 88-101.

प्रामाणिक पुस्तकें

[20] आहूजा, एच. एल. (2020). समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत एवं नीतियां. नई दिल्ली: एस. चंद प्रकाशन।

[21] ओझा, बी. एल. (2016). राजस्थान की अर्थव्यवस्था. जयपुर: रमेश बुक डिपो।

[22] दत्त, आर., एवं सुंदरम, के. पी. एम. (2021). भारतीय अर्थव्यवस्था. नई दिल्ली: एस. चंद प्रकाशन।

[23] नाथूरामका, एल. एन. (2019). राजस्थान की अर्थव्यवस्था. जयपुर: कॉलेज बुक हाउस।

[24] मिश्रा, एस. के., एवं पुरी, वी. के. (2022). भारतीय अर्थशास्त्र एवं विकास नीतियां. मुंबई: हिमालय पब्लिशिंग हाउस।

[25] शर्मा, जे. पी. (2018). ग्रामीण बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन. आगरा: साहित्य भवन पब्लिकेशंस।